

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

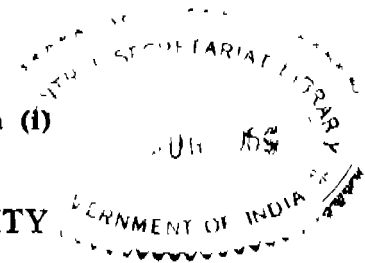
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1969/चैत्र 1, 1891

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1969/CHAITRA 1, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह छल्लग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 22nd March 1969

G.S.R. 853—In exercise of the powers conferred by sub-item (i) of item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 96F of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962, namely:—

In the said notification—

- (i) in the table for the entries in the third column against zone I, the figures "25" shall be substituted;
- (ii) the following further proviso shall be added at the end, namely:—
"Provided further that irrespective of the zone of production, the rate of duty leviable on 'Green Tea' shall be 10 paise per kilogram".

[No. 103/69-F. No. 7/48/68-CX.III.]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1969

सा० फा० नि० 854 —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम प्रतिसूचा की मद सं० 3 की उप-मद (i) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 23/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती, इ प्रार्थित् —

उक्त अधिनियम में, —

(i) सारणी में अन्तः-1 के सामने स्तम्भ 3 में की प्रविष्टियों के लिए अंक “25” प्रतिस्थापित किया जाएगा ,

(ii) अ 1 में, निम्नलिखित परन्तु और जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह और कि उत्पादन के अचल का विचार किए बिना “हरी चाय” पर उद्ग्रहणीय कर को दर प्रति किलोग्राम 10 पैसे होगी”।

[स० 103/69-फा० सं० 7/48/68-के० उ० शु०-3]

के० नरसिंहन, सयुक्त सचिव।